

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, अगस्त 21—अगस्त 27, 2016, शनिवार/श्रावण 30—भाद्र 5, 1938
No. 32] NEW DELHI, AUGUST 21—AUGUST 27, 2016, SATURDAY/SRAVANA 30—BHADRA 5, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 174.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप-धारा (2) के खंड (क) और (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और असम राइफल्स (लेखा अधिकारी, अपर लेखा अधिकारी, अभिलेख अधिकारी एवं सिविलियन राजपत्रित अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 और असम राइफल्स (अधीक्षक) भर्ती नियम, 1994 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए अधिक्रमण या लोप किया गया है, महानिदेशालय असम राइफल्स में लेखा अधिकारी, अपर लेखा अधिकारी, अभिलेख अधिकारी एवं सिविलियन राजपत्रित अधिकारी और अधीक्षक/सहायक, श्रेणी 'ख', पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स सिविल स्टाफ कार्मिक श्रेणी 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं इत्यादि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. लेखा अधिकारी, अपर लेखा अधिकारी, अभिलेख अधिकारी और सिविलियन राजपत्रित अधिकारी	14*(2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। (लेखा अधिकारी—6, अपर लेखा अधिकारी—2, अभिलेख अधिकारी—5 और सिविलियन राजपत्रित अधिकारी—1)	सधारण सिविल सेवा श्रेणी 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड—2, (रु. 9300—34800 + ग्रेड वेतन रु. 4600	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति – सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा की गई भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : महानिदेशालय असम राइफल्स के ऐसे सहायक और अधीक्षक जिनका वेतन बैंड-2 में रु. 9300-34800 और ग्रेड वेतन रु. 4200 हो, साथ ही अपनी श्रेणी में पाँच वर्षों की नियमित सेवा और महानिदेशालय असम राइफल्स के तत्वावधान में संचालित चार सप्ताह के कार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया हो। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति के (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- क. अपर महानिदेशक असम राइफल्स – अध्यक्ष ख. ब्रिगेडियर (प्रशासन), महानिदेशालय असम राइफल्स – सदस्य ग. एकीकृत वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय असम राइफल्स – सदस्य	नियमों में संशोधन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

		टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय ऐसे मामलों के जिसमें एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों को मिलाकर एक ग्रेड बनाया गया और उन्हें एक ग्रेड वेतन या वेतनमान दिया गया और जहां यह कायदा सिर्फ उसी पद के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी अपग्रेडेशन के सामान्य स्थानापन्न ग्रेड है।		
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. अधीक्षक / सहायक	29*(2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	श्रेणी 'ख' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 + (ग्रेड वेतन रु. 4200)	चयन

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	6.9 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 93.1 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति : महानिदेशालय असम राइफल्स में कार्यरत अपर श्रेणी के लिपिकों, जिनका वेतन बैंड-1 में रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2400 हो, साथ ही अपनी श्रेणी में दस वर्षों की नियमित सेवा और महानिदेशालय असम राइफल्स के तत्वावधान में संचालित चार सप्ताह के कार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया हो। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचारार्थ) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी- 1. अपर महानिदेशक असम राइफल्स - अध्यक्ष 2. ब्रिगेडियर (प्रशासन), महानिदेशालय, असम राइफल्स - सदस्य 3. एकीकृत वित्तीय	नियमों में संशोधन करने पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

	किया जाएगा परन्तु उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय ऐसे मामलों के जिसमें एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों को मिलाकर एक ग्रेड बनाया गया और उन्हें एक ग्रेड वेतन या वेतनमान दिया गया और जहां यह लाभ सिर्फ उसी पद के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य स्थानापन्न ग्रेड है। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी : (क) (अ) अपने काडर/विभाग में नियमित आधार पर पद धारण कर रहे हों: या (आ) उस मूल काडर या विभाग में नियुक्ति उपरांत उस पद पर वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 साथ में ग्रेड वेतन रु. 2800 अथवा समतुल्य में नियमित रूप से छः वर्षों की नियमित सेवा उस ग्रेड पर पूरी की हो : और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बेचलर की डिग्री। (ii) प्रशासन/ लेखा/ बजट/ विधि विषयों/ लेखा परीक्षा के क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग वाले विभागीय अधिकारी जिन्हें सीधे प्रोन्नति का आधार हो, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।	सलाहकार, महानिदेशालय असम राइफल्स - सदस्य	
--	--	---	--

	उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या कोई अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व संवर्गबाह्य पद पर आसीन प्रतिनियुक्ति की अवधि को सम्मिलित कर साधारणतः तीन वर्षों से अधिक की नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय ऐसे मामलों के जिसमें एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों को मिलाकर एक ग्रेड बनाया गया और उन्हें एक ग्रेड वेतन या वेतनमान दिया गया और जहां यह लाभ सिर्फ उसी पद के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य स्थानापन्न ग्रेड है।		
--	--	--	--

[फा. सं. ए/कार्मिक/आरआर/सिविल/अधीक्षक/2016]

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव (पुलिस वित्त-VI प्रभाग)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd August, 2016

G.S.R. 174.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act 2006, (47 of 2006), and in supersession of the Assam Rifles (Accounts Officer, Additional Accounts Officer, Record Officer and Civilian Gazetted Officer) Recruitment Rules, 2002 and Assam Rifles (Superintendent) Recruitment Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' posts of Accounts Officer, Additional Accounts Officer, Record Officer and Civilian Gazetted Officer and Superintendent/Assistant in the Directorate General Assam Rifles, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Assam Rifles Civil Staff Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said posts, their classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limits, qualifications and other matter relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Accounts Officer, Additional Accounts Officer, Record Officer and Civilian Gazetted Officer	14*(2016) *Subject to variation dependent on workload. (Accounts Officer -6, Additional Accounts Officer – 2 Record Officer – 5 and Civilian Gazetted Officer – 1)	General Civil Service Group 'B' Gazetted, Ministerial	Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) plus Grade Pay of Rupees 4600	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	By promotion	Promotion: Assistants and Superintendents in Directorate General, Assam Rifles in the pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 with five years' regular service in the grade and successful completion of four weeks 'on the Job Training (OJT)' under the aegis of Directorate General Assam Rifles . Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be corresponding pay/pay scale based on the recommendation of the Pay Commission except where there	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of - (a) Additional Director General Assam Rifles -Chairman (b) Brigadier (Administration) Directorate General Assam Rifles -Member (c) Integrated Financial Adviser, Directorate General Assam Rifles -Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making amendments to the rules.

		has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Superintendent/ Assistant	29*(2016) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B' (Non-Gazetted, Ministerial)	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 (Grade Pay Rs. 4200)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years	6.9% by Promotion and 93.1% by deputation.	Promotion: Promotion of Upper Division Clerks working in Directorate General Establishment in the Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400 who have rendered ten year's regular service in the grade. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying /eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be corresponding pay/pay scale based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Deputation:- Officers under Central/State Government/Union Territory Administration:	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of - (a) Additional Director General Assam Rifles (Chairman) (b) Brigadier (Administration) Directorate General Assam Rifles - Member (c) Integrated Financial Adviser Directorate General Assam Rifles- Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making amendments to the rules.

		(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; Or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-1, Rs. 5200-20200 with grade Pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Bachelor's degree from a recognised university/institute; (ii) two years' experience in the field of administration/accounting/budget/legal matters/audit. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for which that Grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	--	--

[F. No. A/Pers/RR/Civ/Supdt/2016]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy. (PF-VI)

**GORAKH NATH
YADAV**

Digitally signed by GORAKH
NATH YADAV

Date: 2016.08.30 15:48:23
+05'30'